न्यायमूर्ति जी.एस. सिंघवी, स्वतंत्र कुमार और एन.के. सूद के समक्ष,

न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर - याचिकाकर्ता

बनाम

ए.जे. फिलिप,-प्रतिवादी

सी.आर.एल. ओ.सी.पी. 2003 की संख्या 10,

12 जनवरी, 2004

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971—धारा 12—एफआईआर में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम शामिल करने के संबंध में एक गलत समाचार का प्रकाशन—एक संस्था के रूप में उच्च न्यायालय पर आक्षेप लगाने का प्रयास, इसे बदनाम करने और जनता के मन में इसकी प्रतिष्ठा कम करने का प्रयास—समाचार पूरी तरह से निराधार और दुर्भावनापूर्ण है- न्यायालय की आपराधिक अवमानना करने का दोषी - पहले भी इसी समाचार पत्र को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया था - अवमाननाकर्ताओं द्वारा की गई अयोग्य और बिना शर्त माफ़ी को प्रामाणि निश्चित शब्दों में स्वीकार किया गया, और पर्याप्त रूप से पश्चाताप और पश्चाताप की भावना प्रदर्शित की गई - अवमाननाकर्ता पत्रकारिता के निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करने के लिए हलफनामा दाखिल करने और भविष्य में किसी भी परिस्थिति में ऐसा आचरण न दोहराने का उच्च न्यायालय को आश्वासन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

निर्धारित किया गया कि न्यायालयों की संस्था और न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को हिलाने की कोशिश के साथ रिपोर्ट किए गए तथ्यात्मक रूप से गलत बयान प्रेस को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून के बुनियादी नियम का उल्लंघन करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता एक अधिकार है जिसका प्रयोग बिना किसी डर या पक्षपात के किया जाना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी, ईमानदारी और सत्यापित तथ्यों की रिपोर्टिंग के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। यह अधिकार बहुत बड़े कर्त्तव्यों का निर्माण भी करता है। अपेक्षित कर्तव्यों के अभाव में कोई नैतिक अधिकार नहीं हो सकता है। नैतिक प्रतिबंधों का क्षेत्र हमेशा कानूनी प्रतिबंधों के साथ सह-विस्तृत नहीं होता है, जो अधिकार पर लगाए जा सकते हैं। एक बिंदु तक प्रतिबंध भीतर से आना चाहिए। कानूनी संरक्षण जारी रह सकता है भले ही इसका नैतिक अधिकार जब्त कर लिया गया हो। दूसरे शब्दों में, कानूनी प्रतिबंधों द्वारा लगाए गए कानूनी कर्तव्य के साथ-साथ प्रेस का नैतिक कर्तव्य भी है। जब तक प्रेस की स्वतंत्रता को कानून के तहत सीमाओं के भीतर लागू किया जाता है तब तक इसके कानून में कोई नागरिक या दंडात्मक परिणाम नहीं होंगे और यह एक ओर प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और दूसरी ओर अच्छी जनमत बनाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकता है, और किसी भी कल्याणकारी राज्य को आगे बढ़ाने में मदद करता है।

(पैरा 3)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि दो निंदा करने वालों की ओर से मांगी गई माफ़ी प्रामाणिक है, शब्दों में निश्चित है, पश्चाताप और पश्चाताप की भावना को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है और अखबार द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक उपायों को भी संदर्भित करती है।

(पैरा 13)

आगे कहा गया है कि हम अवमाननाकर्ताओं की ओर से दी गई अयोग्य और बिना शर्त माफी स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे लेकिन बशर्ते कि वे एक विशिष्ट हलफनामा दायर करें कि उनके प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों के अलावा वे पत्रकारिता के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करेंगे और भविष्य में किसी भी परिस्थिति में ऐसा आचरण न दोहराने का न्यायालय को बिना असफल आश्वासन सुनिश्चित करें।

(पैरा 20)

जे.के. सिब्बल और अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता- कोर्ट वकील।

आर.के. छिब्बर, वरिष्ठ अधिवक्ता, आनंद छिब्बर, वकील ए.जे. फिलिप के लिए।

वकील राजन गुप्ता, केंद्रीय जांच ब्यूरो के लिए।

निर्णय

स्वतंत्र कुमार, जे.

(1) 'प्रेस' द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अंतर्निहित प्रतिबंधों और सीमाओं का उल्लंघन वास्तव में लंबे समय से न्यायिक जातिवाद का विषय रहा है। बिना किसी आधार के लेखों और समाचारों का गैर-जिम्मेदाराना प्रकाशन और कभी-कभी 'प्रेस' की जानकारी में गलत भी, असंतुष्ट पत्रकारों द्वारा अक्सर न्यायालयों की संस्था जो न्याय प्रदान करने में शामिल हैं और कानून की गरिमा को कमजोर करने और बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास किया जाता है। यह अक्सर कहा जाता है कि स्वस्थ प्रेस किसी भी लोकतंत्र के कामकाज के लिए अपरिहार्य है लेकिन इसके अपरिहार्य परिणाम के रूप में प्रेस पर लेखों या समाचारों को उचित सत्यापन के बाद और निष्पक्ष तरीके से प्रकाशित करने की अधिक जिम्मेदारी है, खासकर जहां यह संस्थानों से संबंधित है। वर्तमान समय में पत्रकारिता ने नए आयाम प्राप्त किए हैं जो अपनी गतिविधियों में जनता के प्रति उत्तरदायी है और अपनी संपूर्णता में निष्पक्ष आलोचना प्रस्तुत करनी चाहिए। शरारत पर आधारित झूठ संस्थागत शर्मिंदगी का कारण बनता है और न्यायिक प्रक्रिया की बुनियादी बातों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जो आम तौर पर गलती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई को आमंत्रित करेगा। प्रेस को न्यायालयों और न्यायाधीशों जैसी संस्थाओं के साथ व्यवहार करते समय पक्षपातपूर्ण आलोचना के प्रहार से बचना होगा क्योंकि यह जनता के विश्वास को नष्ट करता है या किसी भी मामले में चोट पहुँचाता है। सभी स्तरों पर और हर जगह न्यायाधीश अपने सामने आने वाले प्रत्येक मामले में एक पक्ष या दूसरे पक्ष द्वारा निराधार आलोचना के लिए उजागर या जोखिम में हैं। निराधार समाचारों का प्रकाशन और किसी न्यायाधीश पर आक्षेप लगाने से निश्चित रूप से स्वस्थ और निष्पक्ष न्यायिक वातावरण खराब होता है जिसका अस्तित्व ही न्याय के उचित प्रशासन की अनिवार्य विशेषता है। प्रेस की जिम्मेदारी को परिपूर्ण बनाने के लिए शाश्वत सतर्कता और सच्चे तथ्यों के सत्यापन की आवश्यकता होती है। असंतुष्ट व्यक्तियों या पत्रकारों द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने और उसकी स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित संवैधानिक संरक्षण को विफल करने के किसी भी प्रयास को सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(2) भारतीय प्रेस आयोग ने 1954 की अपनी रिपोर्ट में प्रेस की स्वतंत्रता की सीमा का जिक्र करते हुए समाचारों और तथ्यों के ईमानदार संग्रह और प्रकाशन की स्वतंत्रता और निष्पक्ष आलोचना की आवश्यकता का संकेत दिया था, जिसे पत्रकार को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने एक पत्रकार

के लिए चेतावनी भी जोड़ी कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि जानकारी तथ्यात्मक रूप से सही है। किसी भी तथ्य को तोड़-मरोड़कर पेश नहीं किया जाएगा और किसी भी आवश्यक तथ्य को दबाया नहीं जाएगा। झूठी जानकारी वाली जानकारी प्रकाशित नहीं की जाएगी। किसी पत्रकार के लिए अदालत में पेश होने वाले वकीलों पर भी जातिगत आक्षेप लगाना या इरादों पर आरोप लगाना निंदनीय है। निष्पक्ष और स्वस्थ पत्रकारिता एक पत्रकार को ऐसी किसी भी चीज़ के प्रकाशन से इनकार करने का आदेश देती है जिसमें न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति हो। जब सार्वजनिक हित में बिना किसी बाधा के मांग की जाती है तो "न्याय और न्यायाधीश" शब्दों के बीच के बारीक अंतर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। न्यायाधीश के खिलाफ निराधार आरोप और आरोप अदालतों की संस्था को बदनाम करने का संकेत हो सकते हैं और निश्चित रूप से आम आदमी की नजर में इसकी गरिमा को प्रभावित करेंगे और इस प्रकार अवमानना के कानून में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) न्यायालयों की संस्था और न्याय प्रशासन में जनता के विश्वास को हिलाने के प्रयास में रिपोर्ट किए गए तथ्यात्मक रूप से गलत बयान प्रेस को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानून के बुनियादी नियम का उल्लंघन करते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता एक अधिकार है जिसका प्रयोग बिना किसी डर या पक्षपात के किया जाना चाहिए लेकिन जिम्मेदारी, ईमानदारी और सत्यापित तथ्यों की रिपोर्टिंग के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। यह अधिकार बहुत बड़े कर्त्तव्यों का निर्माण भी करता है। अपेक्षित कर्तव्यों के अभाव में कोई नैतिक अधिकार नहीं हो सकता। नैतिक प्रतिबंधों का क्षेत्र हमेशा कानूनी प्रतिबंधों के साथ सह-विस्तारित नहीं होता है जो दाईं ओर लगाए जा सकते हैं। एक बिंदु तक, प्रतिबंध भीतर से आना चाहिए। कानूनी संरक्षण जारी रह सकता है भले ही इसका नैतिक अधिकार जब्त कर लिया गया हो। दूसरे शब्दों में, कानूनी प्रतिबंधों द्वारा लगाए गए कानूनी कर्तव्य के साथ-साथ यह प्रेस का नैतिक कर्तव्य भी है। जब तक प्रेस की स्वतंत्रता को कानून के तहत सीमाओं के भीतर लागू किया जाता है तब तक इसके कानून में कोई नागरिक या दंडात्मक परिणाम नहीं होंगे और यह एक ओर प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने और दूसरी ओर अच्छी जनमत बनाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार हो सकता है जो अन्य और किसी भी कल्याणकारी राज्य के विकास में सहायता करते हैं।

(4) यह ध्यान रखना दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी-समाचार पत्र का आचरण न्यायालयों द्वारा लगातार प्रतिपादित मूल सिद्धांत का अपवाद है, "एक स्वतंत्र प्रेस किसी भी स्वतंत्र देश के लिए अनिवार्य शर्त है जहां तानाशाही अनुपस्थित है, जहां समाचारों और विचारों के प्रसार पर कोई रोक नहीं है।" वास्तव में, इस मामले को उचित रूप से स्वीकृत अवमानना के मामले के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। 24 मई, 2003 के ट्रिब्यून में एक समाचार छपा जिसका शीर्षक था "एच.सी. जज का नाम एफआईआर में शामिल"। स्पष्ट प्रयास उच्च न्यायालय की संस्था पर आक्षेप लगाने का था इसकी बदनामी होती है और जनता के मन में इसकी प्रतिष्ठा कम होती है। श्री आर.एस. भट्टी, अधीक्षक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, चंडीगढ़ द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार के समाचार पूरी तरह से निराधार और दुर्भावनापूर्ण था और इसमें सी.बी.आई. का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं था। जांच के तहत मामले के संबंध में ट्रिब्यून से बात की थी। श्री ए.जे. फिलिप , द ट्रिब्यून प्रेस के संपादक ने अपने हलफनामे में कहा कि यह खबर जल्दबाजी में बनाई गई थी और सही नहीं थी। उनके अनुसार आंतरिक सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और ऐसी चूक दोहराई नहीं जाएगी।

(5) न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा से अवमानना कार्रवाई शुरू करने का नोटिस दिया गया। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश दिनांक 24 मई, 2003 के तहत प्रथम दृष्टया राय व्यक्त की कि समाचार का उद्देश्य पूरी न्यायपालिका को बदनाम करना है और श्री ए.जे. फिलिप, मुद्रक, प्रकाशक

और द ट्रिब्यून के कार्यवाहक संपादक के साथ-साथ पुलिस अधीक्षक, चंडीगढ़ के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो को भी को नोटिस जारी किया।

(6) उत्तरदाताओं को नोटिस दिए गए। जारी किए गए नोटिसों के जवाब में प्रतिवादी-अवमानकों ने हलफनामों के माध्यम से अपने जवाब दाखिल किए और मामले की विस्तार से सुनवाई हुई। 19 सितंबर, 2003 को एक विस्तृत फैसले के जरिये न्यायालय ने श्री ए.जे. फिलिप संपादक और श्री राजमीत सिंह संवाददाता को न्यायालय की अवमानना करने का दोषी ठहराया गया और नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया कि क्यों न उन्हें न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंडित किया जाए। इस स्तर पर यह ध्यान देना उचित होगा कि माननीय न्यायमूर्ति एन.के. सोढ़ी, (इस न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश) ने बहुमत के विचार से सहमति व्यक्त करने के अलावा निर्देश दिया कि सी.बी.आई. स्वयं भी बिना किसी आधार के न्यायाधीश के परिवार को परेशान कर न्यायालय की अवमानना की है। हालाँकि, सी.बी.आई. के खिलाफ कोई भी निष्कर्ष दर्ज करने से पहले उनके आधिपत्य ने निर्देश दिया कि सी.बी.आई. को उचित अवसर देना आवश्यक होगा।

(7) सी.बी.आई. और श्री ए.जे. फिलिप ने आगे हलफनामा दाखिल किया। श्री ए.जे. फिलिप ने अपने शुरुआती हलफनामे में अपनाए गए रुख को दोहराया और आगे यह भी कहा कि वे अयोग्य माफी मांगते हैं। श्री राजमीत सिंह ने भी एक हलफनामा दायर कर कहा कि रिपोर्ट गलत थी। इसके अलावा, प्रकाशित होने के बाद उन्हें इस तथ्य का एहसास हुआ और उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी ओर से एक गंभीर चूक थी और उन्हें बहुत खेद है। हम जल्द ही इन हलफनामों को वापस लाएंगे और विस्तृत विवरण देंगे।

(8) खंडपीठ द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को छोड़कर अन्य सभी अवमाननाकर्ताओं को आपराधिक अवमानना का दोषी मानते हुए अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया गया और तदनुसार उन्हें नोटिस जारी किए गए। फिर उत्तरदाताओं की ओर से शायद ही कोई प्रतियोगिता हुई। अवमाननाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री छिब्बर और इससे पहले श्री राजिंदर सच्चर ने केवल पश्चाताप, पछतावा और पश्चाताप व्यक्त किया और सजा के बजाय क्षमा की प्रार्थना की। इस प्रकार, प्रतिवादी के इस सतत व्यवहार रवैये ने अदालत को सजा के स्थान पर क्षमादान देने के संबंध में मामले पर विचार करने के लिए मजबूर किया। उपरोक्त परिस्थितियों और पूर्वोक्त कानून में हमारा सुविचारित विचार है कि इस गंभीर प्रकृति की आपराधिक अवमानना करने के लिए अवमाननाकर्ता को दंडित करने के बजाय उन्हें सशर्त माफ किया जा सकता है। हमारे समक्ष हलफनामे में कहा गया है कि रिपोर्टर एक युवा उभरता हुआ पत्रकार है और उसने अपने अतिरिक्त उत्साह में तथ्यों की पुष्टि किए बिना और उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित किए बिना खबर प्रकाशित की। उनका करियर खतरे में बताया जा रहा है. उसे पहले ही उसके नियोक्ता द्वारा फटकार लगाई जा चुकी है और उसे बीट ड्यूटी से हटा दिया गया है।

(9) अंततः सज़ा देने और उसकी मात्रा के सवाल पर बहस करते हुए। श्री छिब्बर ने अपमान करने वालों की ओर से पेश होते हुए क्षमा की प्रार्थना करते हुए प्रसिद्ध शायर ग़ालिब के निम्नलिखित दोहों पर बहुत जोर दिया:-

"रोक लो, गर ग़लत चले कोई

बख्श दो, गर ख़ता करे कोई।

कोई गलत रास्ते पर जाए तो उसे रोकें।

यदि कोई भूल करे तो उसे क्षमा कर देना।"

आगे दया की प्रार्थना करते हुए, उन्होंने शेक्सपियर द्वारा अपने नाटक "शाइलॉक" में दी गई अभिव्यक्ति का भी उल्लेख किया और निम्नलिखित पंक्तियों पर भरोसा किया: -

"लेकिन दया इस राजदंड के प्रभाव से ऊपर है,

यह राजाओं के हृदय में विराजमान है।

यह स्वयं ईश्वर का एक गुण है;

और सांसारिक शक्ति तब भगवान की तरह दिखाई देती है जब दया न्याय को जन्म देती है।

इसलिए, यहूदी।"

(10) अदालत को इस गलती के लिए संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से की गई बिना शर्त माफी और पश्चाताप की वास्तविकता पर ज्यादा संदेह नहीं हो सकता है।उनके द्वारा अवमानना के मामलों में न्यायालय अवमाननाकर्ता को वास्तव में दंडित करने के बजाय क्षमा करने की अपनी शक्ति का विस्तार करेगा, बशर्ते कि की गई ऐसी बिना शर्त माफी वास्तविक हार्दिक हो और अत्यंत ईमानदारी के साथ अपनी गलती को सुधारने के इरादे से की गई हो और साथ ही इसे न दोहराने का आश्वासन भी दिया गया हो। भविष्य में भी ऐसा ही विचाराधीन समाचार आधारहीन, गलत और वास्तव में सी.बी.आई. के अनुसार था। यहां तक कि दुर्भावनापूर्ण भी था. श्री राजमीत सिंह, एक युवा पत्रकार, अपनी गलती मानते हैं और क्षमा की प्रार्थना करते हैं जबकि श्री ए.जे. फिलीप ने कार्यवाही की शुरुआत से ही जिम्मेदारी ली है और बिना शर्त माफी मांगी है। यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि वास्तव में एक गलती है जिसने उच्च न्यायालय की गरिमा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है और न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन में स्पष्ट बाधा उत्पन्न की है। ऐसे मामले हैं जहां अदालतों ने गंभीर प्रकृति के मामलों के बावजूद अवमाननाकर्ताओं को दंडित करने के बजाय माफी स्वीकार करने के अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है। अक्सर न्यायिक प्रशासन के प्रति सम्मान और संबंधित न्यायालय द्वारा न्याय प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सजा से बेहतर सुधार एक बेहतर साधन हो सकता है।

(11) श्री ए.जे. फिलिप ने 28/29 मई, 2003 को दायर अपने पहले हलफनामे में माफी मांगते हुए उस घटना और गलती को सुधारने के लिए उसके तुरंत बाद उठाए गए कदमों का दर्दभरा जिक्र किया। उक्त शपथपत्र के निम्नलिखित पैराग्राफों का संदर्भ लेना उपयोगी होगा:-

> "4. यह विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और अन्य ट्रस्टी भी उच्च नैतिक और उच्च सार्वजनिक प्रतिष्ठा वाले सार्वजनिक व्यक्ति हैं। वे भी इस समाचार से बेहद नाखुश हैं और उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही आंतरिक सुधार शुरू कर दिए हैं कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण रिपोर्टें फिर कभी प्रकाशित न हों।
>
> 5. यह कि अभिसाक्षी व्यथित था और उसने तुरंत स्टाफ संवाददाता को बुलाया। चर्चा से पता चला कि कहानी सही नहीं थी और तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। अभिसाक्षी ने तुरंत माफीनामा लिखा और उसे अगले दिन के अखबार में प्रकाशन के लिए भेज दिया। यह विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि यह इस माननीय उच्च न्यायालय से वर्तमान नोटिस की प्राप्ति से पहले किया गया था।

6. यह माफ़ीनामा अगले दिन के अंत में ट्रिब्यून के सिटी संस्करण में पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ और मोटे अक्षरों में प्रकाशित किया गया था। माफी की प्रति अनुलग्नक डी-2 के रूप में संलग्न है। यह विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि मूल कहानी केवल देर से सिटी संस्करण में प्रकाशित हुई थी क्योंकि जब कहानी दी गई थी तब तक यह पहले के संस्करणों में प्रकाशित नहीं हो सकी थी।

8. यह विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि अभिसाक्षी ईमानदारी से पश्चाताप करता है और उस समाचार विषय के कारण इस माननीय न्यायालय को हुए दर्द और शर्मिंदगी के लिए बिना शर्त और अयोग्य माफी मांगता है जो जल्दबाजी में किया गया था और सही नहीं था। अभिसाक्षी इसके द्वारा आश्वासन देता है कि वह इस माननीय न्यायालय का सर्वोच्च सम्मान करता है। अभिसाक्षी विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक इस माननीय न्यायालय को आश्वासन देता है कि मार्गदर्शन और आंतरिक सुधारात्मक उपाय जो पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और किए जाते रहेंगे, ऐसी चूक कभी नहीं दोहराई जाएगी।"

(12) उक्त उत्तरदाताओं को दंडित करने के लिए जारी नोटिस के जवाब में शपथ पत्र में श्री ए.जे. फिलिप ने अपना पुराना रुख दोहराया और 18 अक्टूबर, 2003 के हलफनामे में फिर से माफी मांगी, जो इस प्रकार है: -

"उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए मैं आदरपूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि 29 मई, 2003 के हलफनामे द्वारा पहले ही दी गई और मेरे द्वारा उपरोक्त के रूप में दोहराई गई बिना शर्त माफी को स्वीकार करें और वर्तमान कार्यवाही को बंद करें।"

श्री फिलिप ने ट्रिब्यून ट्रस्ट के अध्यक्ष (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आर.एस. पाठक) द्वारा लिखे गए पत्र पर भी भरोसा किया, जिन्होंने मामले पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रधान संपादक को पत्र लिखकर उनके प्रति सम्मान पर जोर दिया। न्यायपालिका की संस्था और संबंधित क्षेत्रों से उचित कदम उठाने की अपेक्षा करना। माननीय श्री न्यायमूर्ति पाठक के पत्र का उद्धरण इस प्रकार है:-

"....हमारी संवैधानिक राजनीति का स्वास्थ्य चारों ओर घूमता है । मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूं कि द ट्रिब्यून को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायिक संस्था के प्रति जनता का सम्मान हो बनाए रखा। यदि इस अखबार द्वारा कुछ भी किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप न्यायपालिका के प्रति जनता का सम्मान कमजोर होता है, तो मैं बेहद दुखी होऊंगा। जब आपने प्रधान संपादक के रूप में कार्यभार संभाला था, तो मैंने आपसे इस बारे में बात की थी और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपने भी यही दृष्टिकोण रखते हैं। अतीत चाहे जो भी हो, भविष्य में उस सिद्धांत से हटने का कोई उदाहरण नहीं होना चाहिए। आपके व्यापक अनुभव और संपादकीय नीति कौशल के साथ मैं चाहूंगा कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि न्यायपालिका से संबंधित सभी समाचार बहुत वरिष्ठ स्तर पर मंजूरी के बाद ही प्रकाशित किए जाएं। यदि मीडिया द्वारा न्यायपालिका के प्रति सार्वजनिक सम्मान को कमजोर किया जाता है तो मीडिया स्वयं भी जनता की नजर में कमजोर हो जाएगी। मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता।"

ट्रिब्यून ट्रस्ट के अध्यक्ष की सलाह पर कार्रवाई करते हुए एक बैठक बुलाई गई और कुछ निर्णय लिए गए जिनका उल्लेख श्री ए.जे. के हलफनामे में किया गया है। फिलिप और इसे इस प्रकार भी पढ़ा जा सकता है:—

"10. इसके अनुसरण में, श्री एच.के. दुआ, प्रधान संपादक ने कर्मचारियों की एक बैठक बुलाई और यह अनिवार्य कर दिया कि न्यायपालिका से संबंधित सभी समाचार रिपोर्टों और टिप्पणियों को मुख्य समाचार संपादक के पद से कम नहीं के व्यक्ति द्वारा जांचा और मंजूरी दी जानी चाहिए। प्रधान संपादक ने पहले ही कर्मचारियों को चेतावनी दे दी है कि यदि वे पत्रकारिता के उच्च मानकों को पूरा करने में लापरवाही करते पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

(13) उपरोक्त हलफनामों और उनमें वर्णित तथ्यों के मद्देनजर हमारा मानना है कि दो अवमाननाकर्ताओं की ओर से दी गई माफी प्रामाणिक है, शब्दों में निश्चित है, पश्चाताप और पश्चाताप की भावना को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है, और इसका संदर्भ भी देती है कि समाचार पत्र द्वारा उठाए जाने वाले सुधारात्मक उपायों के लिए है। इन सबके बावजूद, प्रतिवादियों द्वारा न्यायालय के समक्ष दी गई ऐसी बिना शर्त माफी को स्वीकार करने में गंभीर बाधा उनका पिछला आचरण है। ऐसे मामलों में न्यायालय के समक्ष अवमाननाकर्ता का पिछला आचरण हमेशा प्रासंगिक विचार का विषय होता है।

14) पहले भी इसी समाचार पत्र द्वारा शीर्षक के अंतर्गत अवांछनीय एवं तथ्यात्मक रूप से गलत समाचार प्रकाशित किये गये थे। 19 मार्च 1996 को "पंप फ़ॉर आल" वापस आ गया। मामले की सुनवाई एवं निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। उत्तरदाताओं को न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया लेकिन वे सजा से बच गए क्योंकि अब रिकॉर्ड पर रखे गए हलफनामों के समान ही हलफनामा द ट्रिब्यून के संपादक की ओर से दायर किया गया था। इसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और मामले को **हरि जय सिंह बनाम कोर्ट ऑन इट्स मोशन**[1] के रूप में रिपोर्ट किया गया। इस प्रकार, कभी-कभी उत्तरदाताओं से केवल माफ़ी मांगने से अधिक की अपेक्षा की जाती है कि वे अदालत को राजी करें ताकि दी गई माफ़ी को स्वीकार किया जा सके।

(15) इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, इस विषय पर कुछ कानून का उल्लेख करना उचित होगा। स्वप्रेरणा बनाम बी.डी. कौशिक और अन्य[2] मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत की एक खंडपीठ ने, बहुमत के दृष्टिकोण से अदालत के सामने घोर अवमानना के बावजूद, माफी स्वीकार कर ली और सजा को स्थगित कर दिया। उनका आधिपत्य इस प्रकार है:—-

".....अवमानना की कार्यवाही में क्षमा याचना के संबंध में न्यायालय यह अच्छी तरह से स्थापित है कि माफी अपने अपराध के दोषियों को शुद्ध करने के लिए है और बचाव का एक हथियार नहीं है, न ही इसका उद्देश्य एक सार्वभौमिक रामबाण के रूप में काम करना है। वास्तविक पश्चाताप का सबूत होने का इरादा है" (एम.वाई. शरीफ और अन्य बनाम नागपुर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश और अन्य)।

वांछित आदेश प्राप्त करने में विफल रहने वाले असंतुष्ट तत्वों द्वारा न्यायिक अधिकारियों की प्रतिष्ठा को खराब करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और अब समय आ गया है कि इसे शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए।''

xx xx xx xx xx

---

[1] 1996 (6) एस.सी.सी. 466

[2] 1992 (1) P.L.R. 38

इस तरह के कारण न केवल संबंधित न्यायाधीश बल्कि संपूर्ण संस्था की स्वतंत्रता से जुड़े बड़े मुद्दे खड़े करते हैं.....अब समय आ गया है कि हमें इसका एहसास हो बहुप्रतीक्षित न्यायिक स्वतंत्रता को न केवल कार्यपालिका या विधायिका से, बल्कि उन लोगों से भी संरक्षित किया जाना चाहिए जो व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं।" (एम.बी. सांघी, अधिवक्ता बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य)।

सभी प्रासंगिक पहलुओं और अधिकारियों पर विचार करने के बाद हमारी राय है कि वर्तमान मामले में अवमाननाकर्ता सजा के हकदार हैं। अवमाननाकर्ताओं द्वारा किया गया अपमान गंभीरतम है। इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वर्तमान से भी बदतर कोई अवमानना संभव है। यह इस तथ्य से जटिल है कि अवमानना आम अवमाननाकर्ताओं द्वारा नहीं बल्कि अधिवक्ताओं द्वारा की गई है जो न्यायालय के अधिकारी हैं।''

फिर भी एक और मामले में **म.प्र. द्विवेदी और अन्य**[3] के मामले में शीर्ष अदालत ने अवमाननाकर्ताओं को अवमानना का दोषी पाया और उस मामले में शामिल सभी 5 अधिकारियों के आचरण को अस्वीकार करते हुए पाया कि एक युवा न्यायिक अधिकारी इसमें शामिल था और उसे इस प्रकार ठहराया गया: -

:....अवमाननाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि वह एक युवा न्यायिक अधिकारी है और यह चूक जानबूझकर नहीं की गई थी...।"

XX XX XX XX XX XX

हम मान लेंगे कि 8 फरवरी, 1993 को अवमाननाकर्ता ने इस न्यायालय के निर्णयों के बारे में कोई बयान नहीं दिया था, जिसका वहां कोई उपयोग नहीं होता और पुलिस को आरोपी को हथकड़ी के साथ या उसके बिना, अपनी इच्छानुसार ले जाने का अधिकार है। लेकिन एक न्यायिक अधिकारी होने के नाते, अवमाननाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन और सुनील गुप्ता बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून से अवगत हो। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन का फैसला 13 साल पहले 1980 की शुरुआत में हुआ था। अपने हलफनामे में भी उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें उक्त निर्णयों की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा मप्र के रेगुलेशन 465 में भी प्रावधान थे। पुलिस विनियम उन शर्तों को निर्धारित करते हैं जिनमें विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाई जा सकती है और उनमें मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए प्राधिकरण की आवश्यकता शामिल है। ऐसा प्रतीत होता है कि अवमाननाकर्ता हथकड़ी लगाने के मामले में विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के बारे में पूरी तरह से असंवेदनशील था, जब कैदियों को हथकड़ी में अदालत में उसके सामने पेश किया गया था..... .."

XX XX XX XX XX XX

[3] 1996 (4) एस.सी.सी. 152

हालाँकि, हम उसके आचरण के प्रति अपनी कड़ी अस्वीकृति दर्ज करते हैं और निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस अस्वीकृति का एक नोट अवमाननाकर्ता की व्यक्तिगत फ़ाइल में रखा जाएगा।

xx xx xx xx xx

परिणामस्वरूप, अवमाननाकर्ताओं के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस अवमाननाकर्ताओं 1 से 5 और 7 के आचरण की अस्वीकृति के संबंध में निर्देशों और उन सभी की व्यक्तिगत फाइलों में उक्त अस्वीकृति के नोट को रखने के संबंध में निर्देशों के अधीन खारिज कर दिए जाते हैं। अवमानना की कार्यवाही तदनुसार निपटाई जाएगी। इस आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार और रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को भेजी जाए।"

नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ और अन्य [4] नामक एक प्रसिद्ध मामले में नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेताओं द्वारा न्यायालय के आदेशों को विकृत करने पर ध्यान देते हुए न्यायालय ने माना कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुछ अपराधों के लिए योग्य है और अदालत को बदनाम करना ऐसी योग्यताओं में से एक है। उनके आधिपत्य ने अवमानना कार्यवाही को समाप्त करते हुए निम्नानुसार कहा: -

"22 जुलाई, 1999 के बाद जब विद्वान अमीकस नियुक्त किया गया था हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे पता चले कि सुश्री अरुंधति रॉय ने न्यायपालिका के संबंध में अपने आपत्तिजनक लेखन को जारी रखा है। शायद अब तक उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा. इसलिए, हम अब इस मामले को यहीं शांत रहने देना और इसे आगे नहीं बढ़ाना उचित समझते हैं। आवेदन (आई.ए. 14) का तदनुसार निपटारा किया जाता है।" मामले में आगे: चंडीगढ़ न्यूज लाइन (इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, जहां एक भ्रामक और गलत समाचार प्रकाशित किया गया था, जो पूरी तरह से अदालत के आदेश का हवाला दे रहा है और शुरुआत में ही माफी मांगी गई थी, अदालत समाचार पत्र के साथ-साथ न्यायालय में प्रकाशित माफी पर ध्यान दिया और पाया कि माफी ईमानदार और प्रामाणिक थी, उसे स्वीकार कर लिया और उन कार्यवाही को रद्द कर दिया।

(16) इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने (अवमाननाकर्ता) रंजीत बजाज के मामले में (2000 के सिविल विविध संख्या 15886 में, 1995 की सिविल रिट याचिका संख्या 7639 में) 30 अप्रैल, 2003 को निम्नानुसार निर्णय लिया: -

"...दूसरे शब्दों में, न्यायालयों को एक संतुलन प्राप्त करना होगा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सुधार के अवसर और या तुरंत सज़ा देने के बीच अधिमान्य दृष्टिकोण का तर्क। एक लाभकारी कानून स्पष्ट रूप से दंडात्मक नहीं है और इसके लिए उदार निर्माण की आवश्यकता होती है। हमारे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि इस सुधारात्मक प्रक्रिया का सार व्यक्ति को सजा/दंड के विकल्प के रूप में या उसके बदले में परिवीक्षा पर रिहा करना है।

18.4. कहावत "जस्टिटिया एस्ट डुप्लेक्स: सीवियर प्यूएन्स, एट वेरे प्रैवेनिएन्स" अपने मूल गुण से अदालतों पर एक तरफ गंभीर सजा के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने और दूसरी तरफ वास्तव

[4] जे.टी. 1999 (8) एस.सी. 354

में या कुशलतापूर्वक अपराध की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से दोहरी बाध्यता लगाती है। कानून की गरिमा. कानून के स्थापित सिद्धांत यह भी संकेत देते हैं कि मुकदमेबाजी के कारणों को दूर करना न्यायालयों का कर्तव्य है। दूसरे शब्दों में, अवमाननाकर्ता को खुद को सुधारने का अवसर प्रदान करते हुए न्यायालय यह भी अपेक्षा करता है कि वह ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा और न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा का अपराध नहीं दोहराएगा।

चंचल मनोहर सिंह बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और अन्य[5] के मामले में विभिन्न समाचार पत्रों की रिपोर्टों द्वारा विशेष रूप से कानून के क्षेत्र में लागू की जाने वाली सावधानी का संकेत देते हुए, रिपोर्टर को अवमानना का दोषी पाते हुए अभी भी स्वीकार किया गया है। माफ़ी शुरू में ही मांगी गई थी और गलती के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों और निष्कर्षों को इस स्तर पर उपयोगी रूप से देखा जा सकता है: -

> "हमारी राय है कि शुरू से ही अपीलकर्ता का रुख अपनी गलती स्वीकार करने और गलती करने के लिए माफ़ी मांगने का था। उन्होंने कभी गलती को सही ठहराने की कोशिश नहीं की. इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय में विद्वान न्यायाधीशों ने भी ऐसा ही किया सख्त नजरिया है, हमें नहीं लगता कि उसे अपमानित करने से समाज को क्या फायदा होगा। हम यह महसूस करते हैं कि पत्रकारों को समाचार पत्रों में अपने विचार व्यक्त करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उचित सत्यापन के बिना ऐसी एकतरफा रिपोर्टिंग दूसरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। उनके लिए यह समझना जरूरी है कि अवमानना के लिए दोषी ठहराए जाने पर अपीलकर्ता जिस भावना से गुजर रहा होगा, शायद वह भावना उन लोगों में भी होगी जो इस तरह की गैरजिम्मेदाराना रिपोर्टिंग से आहत और घायल हुए हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि प्रिंट मीडिया में मामलों की रिपोर्टिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जाए और दूसरों की भावनाओं के प्रति चिंता दिखाई जाए। अक्सर हमारे सामने ऐसे मामले आते हैं जहां समाचार छापने के बजाय उन पत्रकारों द्वारा विचार व्यक्त किए जाते हैं जिन्होंने पर्याप्त शोध नहीं किया है, अनुभव और परिपक्वता की कमी है और इससे उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आकर्षक सुर्खियों के साथ रिपोर्टिंग करने में अतिउत्साह उन कारणों में से एक है जिसने कई पत्रकारों को इस प्रकार की कठिनाई में डाल दिया है। हमें उम्मीद है कि वे दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे जिन्हें उनकी रिपोर्टिंग से ठेस पहुंचने की संभावना है, अगर रिपोर्टिंग तथ्यात्मक रूप से गलत है या उसे गैर-जिम्मेदाराना करार दिया जा सकता है। हमें यकीन है कि अपीलकर्ता ने अपना सबक कठिन तरीके से सीखा होगा। हम उनकी माफी स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वह भविष्य में अधिक सतर्क रहेंगे और यह अनुभव अतिरिक्त सावधानी बरतने की लगातार याद दिलाएगा...''

अनिल पंजवानी[6] के मामले में हाल ही के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था, और उनके आधिपत्य को निम्नानुसार रखा गया था: -

> ".....हालाँकि, उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम पाते हैं कि ऐसा नहीं है देर से ही सही, विवेकपूर्ण क्षणों में बेहतर समझ आई जिसके तहत उन्होंने वास्तव में हाथ जोड़कर हमारे सामने खेद व्यक्त किया और अपने द्वारा दायर किए गए दो हलफनामों को वापस लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया

---

[5] 1998 (8) एस.सी.सी. 481

[6] जे.टी. 2003 (4) एस.सी. 471

जिसमें आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। हमने अनुरोध पर उचित विचार किया है ऊपर दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में और विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में कि इस अवमानना मामले के सिलसिले में शुरू में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था जहां उन्हें जमानत पर रिहा होने से पहले चार दिनों के लिए रखा गया था। हमारे विचार में, ये कारक उस अनुरोध को स्वीकार करने के पक्ष में हैं, जिसमें उसे आपत्तिजनक हलफनामे वापस लेने की अनुमति दी गई है, बजाय इसके कि इस मामले को जारी रखा जाए और उसे फिर से जेल भेजा जाए, हालांकि पश्चाताप करने में उसे निस्संदेह थोड़ी देर हो गई है।

उपरोक्त कारणों से, हम हलफनामे वापस लेने और कार्यवाही को इस चेतावनी के साथ छोड़ने के अनुरोध की अनुमति देते हैं कि भविष्य में वह सावधान रहें और दोबारा ऐसे किसी अवसर को जन्म न दें। यदि वह ऐसा करता है, तो इस आदेश को हमेशा पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में माना जा सकता है।"

(17) कानून ऐसे मामलों में न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करता है। बेशक, विवेक का प्रयोग अनिवार्य रूप से क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना चाहिए। प्रेस केवल प्रचार का साधन नहीं है, दुर्भावनापूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बड़े पैमाने पर समाज को शिक्षा और चरित्र भी प्रदान करता है। इसे झूठी खबरें फैलाकर सनसनी पैदा करने के प्रलोभन पर काबू पाना होगा। इसे हमेशा के लिए द्वेष, ईर्ष्या और बुरी इच्छाओं पर आधारित असुरक्षित उत्साह की रिपोर्टिंग को त्याग देना चाहिए। ऐसी स्थिति में कानून का कर्तव्य दया दिखाने के बजाय दोषियों को दंडित करने की मांग करेगा। न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं के आचरण को ध्यान में रखते हुए स्वामी विवेकानन्द ने जो कहा उसका संदर्भ उपयोगी रूप से दिया जा सकता है:-

शक्ति और दया

मनुष्य के आचरण का मार्गदर्शन करते हैं।

शक्ति का प्रयोग सदैव स्वार्थ का ही प्रयोग है।

दया का अभ्यास स्वर्गीय है।

(18) उपरोक्त समाचार अवमाननाकर्ता के अनियमित रवैये को दर्शाता है जिसने तथ्यों की पुष्टि किए बिना और कथित तौर पर उसे जानकारी देने वाले स्रोतों की प्रामाणिकता का आकलन किए बिना समाचार प्रकाशित किया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कार्रवाई गलत थी। विशेष रूप से एक पत्रकार की ज़िम्मेदारी, कानूनी पत्रकारिता के क्षेत्र से, उस पर जिम्मेदारी डालती है। किसी पत्रकार के उच्छृंखल आचरण से संस्थान को अपूरणीय क्षति होने के अलावा स्वयं समाचार पत्रों को भी गंभीर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वाक्पटुता की कोई भी सीमा ऐसी गैर-जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग को उचित नहीं ठहरा सकती। सद्भाव और संतुलन का सिद्धांत किसी भी कानूनी प्रणाली में अपने अस्तित्व से ही ऐसे व्यवहार को अपवाद बनाता है। इस तरह की रिपोर्टिंग पत्रकारिता का कदाचार नहीं बल्कि गंभीर अपराध है। इसके प्रतिकूल प्रभाव और परिणामों को स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक जो सिस्टम और संबंधित व्यक्ति को स्थायी रूप से प्रभावित करता है और समय बीतने के साथ दूर होने की संभावना है, जबकि दूसरा संस्थान और न्याय प्रशासन को होने वाली स्थायी क्षति है। यह आचरण सामान्यतः अक्षम्य होगा ये गंभीर अवमाननापूर्ण कृत्य, वह भी इतनी गंभीर प्रकृति के न्यायालय के पास शायद ही कोई विकल्प बचेगा। फिर भी न्याय के हित में

अवमाननाकर्ताओं द्वारा दी गई माफी के परिणामों पर विचार करने और न्यायिक उदारता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(19) उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांत उस संस्थागत सहिष्णुता को दर्शाते हैं जो न्यायपालिका जनता और न्याय प्रशासन के व्यापक हित में रखती है। कानून की महिमा को बनाए रखना न्याय की धुरी है। क्यूरियो, ऐसे मामले हैं जहां न्यायालय के लिए दंडात्मक क़ानून का सहारा लेना अपरिहार्य होगा। ऐसे मामले जहां अवमाननाकर्ता को दंडित करना आवश्यक है, उन्हें अलग-अलग घोषणाओं द्वारा स्पष्ट रूप से समझाया गया है और इस प्रकार, उन्हें उनके सही परिप्रेक्ष्य और संस्थागत हित में समझा जाना चाहिए। एक कारक जो कुछ हद तक संतुलन को अवमाननाकर्ता के पक्ष में झुकाता है वह यह है कि अखबार द्वारा अगले ही अंक में एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था। उनके मुताबिक यह खबर अखबार के बाद के संस्करणों में भी प्रकाशित नहीं हुई। अवमाननाकर्ताओं ने पहले उपलब्ध अवसर पर ही न्यायालय के समक्ष अयोग्य माफी मांगी और किसी भी समय गलत और गैर-जिम्मेदाराना कृत्य का समर्थन करने या उसे उचित ठहराने का प्रयास भी नहीं किया।

(20) अब हम उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में इस मामले पर विचार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में उत्तरदाताओं द्वारा ऐसी निराधार और अवांछनीय खबरें रिपोर्ट न की जाएं। हम श्री ए.जे. फिलिप और श्री राजमीत सिंह की ओर से दी गई अयोग्य और बिना शर्त माफी स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल करने के अधीन कि उनके प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णयों के अलावा वे पत्रकारिता के निर्धारित मानकों का सख्ती से पालन करेंगे और न्यायालय को इस तरह के आचरण को किसी भी परिस्थिति में भविष्य दोबारा न दोहराने का आश्वासन देंगे।

21) पुनरावृत्ति की कीमत पर और जैसा कि यह हमारे लिए अपरिहार्य है,हम 19 सितंबर, 2003 के अपने निर्णय और आदेश में हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्षों पर फिर से जोर देते हैं:—

> "....यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक समाचार पत्र ने ऐसा किया है कि एक सदी से भी अधिक समय से प्रतिष्ठित और जिसने समुदाय के लिए तुर्कों की तरह सेवा की है और सार्वजनिक हित के प्रहरी के रूप में काम किया है, वह उन लोगों के लिए खेल का मैदान बन गया है, जिनके मन में दूसरों की गरिमा के प्रति सम्मान नहीं है और जो ऐसा करने में संकोच नहीं करते हैं। न्यायपालिका सहित संवैधानिक संस्थानों को कलंकित करें और इस तरह इसकी निष्पक्षता और अखंडता में लोगों का विश्वास हिलाएं।"

(22) हम उत्तरदाताओं को उनके सार्वजनिक दायित्व के आयामों को किसी भी बेहतर तरीके से याद नहीं दिला सकते थे। हम आशा व्यक्त करते हैं कि उत्तरदाता अपने कद को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता के उच्च मानकों का पालन सुनिश्चित करेंगे। व्यापक सार्वजनिक हित उन पर सभी प्रभावित पक्षों की गरिमा बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने का दायित्व डालता है।

(23) जहां तक केंद्रीय जांच ब्यूरो का सवाल है, उन्होंने शुरू से ही यह रुख अपनाया था कि समाचार गलत और दुर्भावनापूर्ण था। हलफनामे में विशेष तौर पर दलील दी गई कि किसी भी रिपोर्टर ने जांच अधिकारी या विभाग के किसी अन्य अधिकारी से बात नहीं की थी। हमें संबंधित न्यायाधीश द्वारा लिखे गए पत्र और न्यायालय के समक्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनाए गए रुख में कोई विरोधाभास नहीं दिखता है। हमारे समक्ष सभी पक्षों का यह ठोस मामला है कि समाचार गलत था और वास्तव में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार यह झूठा था। इन परिस्थितियों में हम इस मामले की जांच करना आवश्यक नहीं

समझते हैं कि विद्वान न्यायाधीश द्वारा लिखे गए पत्र और न्यायालय के समक्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर हलफनामे के बीच कोई विरोधाभास था या नहीं, खासकर जब पत्र स्वयं संदर्भित करता है इसकी नींव के रूप में समाचार आइटम। ऐसा दृष्टिकोण सुसंगत होगा न्यायिक प्रशासन की संस्थागत गरिमा के लिए। इस प्रकार, हम 19 सितंबर, 2003 के आदेश में अपनाए गए बहुमत के दृष्टिकोण का पालन करने के इच्छुक हैं। अर्थात, हम यह मानने के इच्छुक नहीं हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो या उसका कोई अधिकारी न्यायालय की अवमानना का दोषी है या उनकी कार्रवाई न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप किया है। हालाँकि, हम स्पष्ट रूप से उक्त विभाग को अपनी जांच में अधिक सावधान और सतर्क रहने के लिए चेतावनी का एक नोट दर्ज करते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच से गोपनीयता बनाए रखने की उम्मीद की जाती है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जानकारी के लीक होने में योगदान की उम्मीद नहीं की जाती है। इस तरह के सुरक्षा उपाय आपराधिक न्याय प्रशासन के साथ-साथ जांच एजेंसी के भी सामान्य हित में होंगे।

(24) इन सबके बावजूद, हम उत्तरदाताओं को निर्देश देते हैं कि जो द ट्रिब्यून और कानूनी पत्रकारिता जैसे समाचार पत्र के मुद्रण, प्रकाशन और प्रसार के लिए वैधानिक और अन्यथा जिम्मेदार हैं वे निम्नलिखित दिशानिर्देशों-निर्देशों का पालन करें और निवारक और सुधारात्मक कदम उठाएं ताकि पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानक को बनाए रखना और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप न करना और न्यायपालिका की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को कम न करना।

1. पत्रकार को अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वह जो कहता है या लिखता है उसका आम नागरिक द्वारा कही गई बात की तुलना में जनता पर अधिक हद तक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। इस प्रकार, उसे वास्तविक समाचार के प्रति पूरी तरह से तथ्यात्मक और सही होना चाहिए।

2. समाचार के ईमानदार संग्रह और प्रकाशन का आधार निष्पक्ष टिप्पणी और आलोचना का अधिकार है, इस सिद्धांत के अपवाद के साथ कि किसी पत्रकार के लिए न्यायिक प्रशासन संस्थान सहित किसी एक पर मकसद थोपना या थोपना आशंकित है। न्याय प्रशासन या न्यायिक प्रशासन के कार्य के संबंध में कोई भी समाचार या लेख प्रकाशित होने से पहले, संबंधित तिमाही को यह सुनिश्चित करना होगा कि जानकारी तथ्यात्मक रूप से सटीक है। तथ्यों को विकृत नहीं किया जाता और किसी भी आवश्यक तथ्य को दबाया नहीं जाता।

3. प्रकाशित सभी सूचनाओं और टिप्पणियों के लिए जिम्मेदारी मानी जाएगी। यदि जिम्मेदारी से इनकार किया जाता है, तो इसे प्रकाशन से पहले स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। अदालतों की कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि स्थापित प्रशासन का अवशेष मुकदमा सार्वजनिक है और उनकी कार्यवाही का प्रचार किया जा सकता है, लेकिन प्रकाशन करने वाले समाचार पत्रों को सत्य और सटीक बयान देना चाहिए और दुर्भावना या अदालतों या न्यायाधीशों को बदनाम करने के प्रयास से रहित होना चाहिए।

4. कानूनी पत्रकारिता से संबंधित समाचारों और लेखों की सत्यता की जांच के लिए अंतर्निहित तंत्र प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं और कम से कम अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्रकाशन के स्रोतों की प्रामाणिकता सुनिश्चित की जाए।

(25) कानूनी पत्रकारिता को जिस कठिन कर्तव्य और दायित्व और व्यापक दायित्व का पालन करना चाहिए उसका उल्लेख हमने ऊपर किया है। अब के उत्तरदाताओं और इसके पूर्व संपादक को

पहले भी न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया गया था और इस प्रकार उन पर और इसके प्रबंधन पर इस तरह की पुनरावृत्ति की पूर्ण रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी चूक के ऐसे सभी उपाय करने का भारी बोझ है। गरिमापूर्ण पत्रकारिता के उपरोक्त उल्लिखित मानदंड विशेष रूप से न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था के संदर्भ में संपूर्ण नहीं हैं, बल्कि प्रेस पर डाली गई महती जिम्मेदारी का संकेत मात्र हैं, जिसका सार्वजनिक हित में सही रिपोर्टिंग करने का पवित्र कर्तव्य है। ये मानक और प्रतिबंध मोटे तौर पर बताते हैं कि कानून में अखबार के प्रकाशकों से क्या अपेक्षा की जाती है। बेशक, उसका अनुपालन अवमानना की कार्रवाई में पूर्ण बचाव नहीं हो सकता क्योंकि यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालाँकि, उनका अनुपालन निश्चित रूप से न्याय के उचित प्रशासन में हस्तक्षेप को रोकेगा और अपराध की गंभीरता को कुछ हद तक कम करेगा। कानून लागू करने के मामले में पत्रकारों की स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत नागरिक की तुलना में बेहतर स्तर पर नहीं है। इसके विपरीत, अखबार के संपादक और प्रबंधन पर मामलों की रिपोर्टिंग में सावधानी और सावधानी बरतने की बड़ी जिम्मेदारी डाली जाती है।

(26) ऊपर हमारी विस्तृत चर्चा के मद्देनजर, हम केंद्रीय जांच ब्यूरो को जारी किए गए अवमानना के नोटिस को सावधानी के शब्दों के साथ खारिज करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर दर्ज किया है। हम श्री ए.जे. फीलिप, संपादक और श्री राजमीत सिंह, रिपोर्टर, द्वारा दी गई बिना शर्त और अयोग्य माफी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस शर्त के अधीन कि जैसा कि ऊपर निर्देशित किया गया है, शपथपत्र उनके द्वारा दायर किया जाएगा।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हार्दिक सचदेवा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पोस्टिंग का स्थान: भिवानी

Hardik Sachdeva

Trainee Judicial Officer

Place of Posting: Bhiwani